अनुदान संख्या 60 – श्रम और रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 60 - MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	7355,53,00		7355,56,00	6524,97,68	-830,58,32
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					769,07,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	22,85,00		41,86,00	3,58,99	-38,27,01
पूरक	Supplementary	19,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					16,67,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Secretariat- Social Services				
मू.	O.	5800.00	5943.00	5694.87	-248.13
पु.	R.	143.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	2385.00	1981.00	1792.82	-188.18
पु.	R.	-404.00			
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	Major Head "2230" Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	653634.00	647993.00	642331.70	-5661.30
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-5643.00			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	68784.00	1.00	..	-1.00
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-68784.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	4900.00	2714.00	2662.08	-51.92
पु.	R.	-2186.00			

(I) ₹72110.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2017 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) अट्ठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹72098.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम" –

(I) Provision of ₹72110.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2017) remained wholly unutilized under eighteen heads; of these ₹72098.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2230" - "Labour" -

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹1620.00 लाख; और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹810.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विभिन्न जनसेवाएं दिए जाने के लिए आईटी आधारित, आधार लिंक सम्बद्ध प्लेटफार्म को तैयार करने में विलंब के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "श्रम – अनुसंधान और सांख्यिकी – अन्य मदें" – ₹630.00 लाख;

(ख) "श्रम – औद्योगिक संबंध – अन्य मदें" – ₹300.00 लाख ।

(ग) "श्रम – बाल/महिला श्रमिकों के कार्य करने की स्थिति में सुधार – स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना और बंधुआ मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹1600.00 लाख;

(घ) "श्रम – शिक्षा" –

(i) "कामगारों को शिक्षा के लिए केंद्रीय बोर्ड को अनुदान" – ₹900.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय श्रमिक संस्थाओं को अनुदान" – ₹150.00 लाख;

(ङ) "रोजगार सेवाएं – अनुसंधान सर्वेक्षण और सांख्यिकी – रोजगार संवर्द्धन स्कीम" – ₹12100.00 लाख;

(च) "श्रम – श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा" –

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Security Schemes" - ₹1620.00 lakhs; and

(b) "Tribal Area Sub-Plan -Social Security Schemes" - ₹810.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to delay in preparation of IT based, Aadhar linked platform for delivery of various public services to unorganized workers.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Labour-Research and Statistics-Other Items" - ₹630.00 lakhs;

(b) "Labour-Industrial Relations- Other Items"- ₹300.00 lakhs;

(c) "Labour - Improvement in Working Condition of Child/Women Labour-National Child Labour Project including grants in aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - ₹1600.00 lakhs;

(d) "Labour - Education" -

(i) "Grants to Central Board for Worker's Education" - ₹900.00 lakhs;

(ii) "Grants to National Labour Institute" - ₹150.00 lakhs;

(e) "Employment Services- Research Survey and Statistics - Employment Promotion Scheme" ₹12100.00 lakhs;

(f) "Labour - Social Security for Labour" -

(i) "सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹1100.00 लाख;

(ii) "कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995" – ₹48052.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन – एवं – जीवन बीमा स्कीम" – ₹2879.00 लाख;

(iv) "असम के चाय बागान कामगारों के लिए डिपोजिट लिंक्ड बीमा स्कीम" – ₹421.00 लाख;

(छ) "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण) – रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹200.00 लाख;

(ज) "श्रम – कार्य स्थितियां और सुरक्षा" –

(i) "डीजीएफएएसएलआई स्कीमें" – ₹173.00 लाख; और

(ii) "डीजीएमएस स्कीमें" – ₹280.00 लाख।

उपर्युक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹883.00 लाख – उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।

(i) "Social Security Schemes" - ₹1100.00 lakhs;

(ii) "Employees' Pension Scheme, 1995" - ₹48052.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(iii) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - ₹2879.00 lakhs;

(iv) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam"- ₹421.00 lakhs;

(g) "General-Direction and Administration - (Welfare of SC/ST and OBCs) - Employment Generation Programmes" - ₹200.00 lakhs;

(h) "Labour - Working Conditions and Safety" -

(i) "DGFASLI Schemes" - ₹173.00 lakhs; and

(ii) "DGMS Schemes" - ₹280.00 lakhs.

Provisions under the above thirteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes-Special Component Plan for Scheduled Castes - Employment Generation Programmes" - ₹883.00 lakhs - due to non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous years.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – श्रम मंत्रालय" – के अंतर्गत ₹105.13 लाख की बचत (₹5800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के यात्रा भत्ता दावों का निपटान न होने और प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम विज्ञापन के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Labour" - saving of ₹105.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5800.00 lakhs) was due to non-settlement of travel allowance claims of awardees and less advertisement in print and electronic media.

(III) मुख्य शीर्ष "2225" – "सामान्य" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2225" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹229.11 लाख की बचत (₹935.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Employment Generation Programmes" - saving of ₹229.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹935.00 lakhs) was due to non -filling up of vacant posts.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹135.89 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति और वृत्तिका के लिए कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Employment Generation Programmes" - saving of ₹135.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to receipt of less number of applications for scholarship and stipend.

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹227.18 लाख की बचत (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Employment Generation Programmes" - saving of ₹227.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs); and

(IV) मुख्य शीर्ष "2230" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(IV) Under Major Head "2230" - savings occurred under the following heads :-

(का) "श्रम" –

(A) "Labour" -

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "अन्य मदें" – ₹1269.32 लाख की बचत (₹1586.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(i) "Other Items" - saving of ₹1269.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1586.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम दावे प्राप्त होने और कम संख्या में एजेंसियों को भाड़े पर लिए जाने के कारण हुईं।

(ii) "डीजीएफएएसएलआई स्कीमें" – ₹319.95 लाख की बचत (₹375.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राक्कलन प्राप्त न होने और स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) "डीजीएमएस स्कीमें" – ₹408.48 लाख की बचत (₹452.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(iv) "लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क, खान श्रमिक कल्याण" – ₹238.05 लाख की बचत (₹387.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, छात्रवृत्ति/वृत्तिकाओं के लिए कम आवेदन प्राप्त होने, उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(v) "चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण" – ₹273.91 लाख की बचत (₹378.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने, उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims towards professional services and hiring of less number of agencies.

(ii) "DGFASLI Schemes" - saving of ₹319.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹375.00 lakhs) was due to non-receipt of estimates from Central Public Works Department and receipt of less claims towards establishment related expenses.

(iii) "DGMS Schemes" - saving of ₹408.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹452.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards leave travel concession and other establishment related expenses.

(iv) "Iron Ore Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare" - saving of ₹238.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹387.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less applications towards scholarship/ stipends, non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous years.

(v) "Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare" - saving of ₹273.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹378.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards leave travel concession, non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous years.

(vi) "स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना और बंधुआ मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹610.00 लाख की बचत (₹2592.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(vii) "शिक्षा" – ₹396.75 लाख की बचत (₹1701.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन को अंतिम रूप दिए जाने में देरी तथा अधिप्राप्ति के लिए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुई।

(viii) "बीड़ी कामगारों का कल्याण" – ₹3053.09 लाख की बचत (₹5252.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "सामान्य श्रमिक कल्याण" –

(i) "लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण" – ₹738.23 लाख की बचत (₹1806.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ii) "चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण" – ₹624.31 लाख की बचत (₹1762.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(iii) "बीड़ी कामगारों का कल्याण" – ₹9435.95 लाख की बचत (₹23966.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(vi) "National Child Labour Project including grant-in-aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - saving of ₹610.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2592.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous year.

(vii) "Education" - saving of ₹396.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1701.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates, availability of unspent balances of previous years, late finalization of implementation of 7th Central Pay Commission and delay in finalization of tender for procurement.

(viii) "Beedi Workers Welfare" - saving of ₹3053.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5252.00 lakhs);

(b) "General Labour Welfare" -

(i) "Iron Ore Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare" - saving of ₹738.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1806.00 lakhs);

(ii) "Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare" - saving of ₹624.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1762.00 lakhs); and

(iii) "Beedi Workers Welfare" - saving of ₹9435.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23966.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने, पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता और कम संख्या में लाभार्थियों के कारण हुईं।

(ग) "अनुसंधान तथा सांख्यिकी – अन्य मदें" – ₹1817.77 लाख की बचत (₹5756.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(घ) "कार्य स्थितियां और सुरक्षा" –

(i) "डीजीएफएएसएलआई स्कीमें" – ₹812.39 लाख की बचत (₹3381.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) "डीजीएमएस स्कीमें" – ₹980.76 लाख (₹7737.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के कारण हुई।

(ङ) "औद्योगिक संबंध – अन्य मदें" – ₹1483.51 लाख की बचत (₹9576.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(च) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा – सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹6435.34 लाख की बचत (₹6470.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) असंगठित कामगारों को विभिन्न जनसेवाएं देने के लिए आईटी आधारित, आधार सम्बद्ध प्लेटफार्म तैयार करने में विलंब के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to non-receipt of utilization certificates, availability of unspent balances of previous years and less number of beneficiaries.

(c) "Research and Statistics - Other Items" - saving of ₹1817.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5756.00 lakhs);

(d) "Working Conditions and Safety" -

(i) "DGFASLI Schemes" - saving of ₹812.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3381.00 lakhs), and

(ii) "DGMS Schemes" - saving of ₹980.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7737.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non filling up of vacant posts, receipt of less claims towards leave travel concession and other establishment related expenses.

(e) "Industrial Relations - Other Items" - saving of ₹1483.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9576.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards leave travel concession, non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous years.

(f) "Social Security for Labour - Social Security Schemes" - saving of ₹6435.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6470.00 lakhs) was due to delay in preparation of IT based, Aadhar linked platform for delivery of various public services to unorganized workers.

(छ) "बाल/महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार – स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना तथा बंधुवा मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹3119.22 लाख की बचत (₹10496.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने, पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने तथा प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में कम विज्ञापन के कारण हुई।

(ज) "शिक्षा" –

(i) "केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अनुदान" – ₹424.16 लाख की बचत (₹5904.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के कम प्रस्तावों की प्राप्ति, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन न होने तथा अधिप्राप्ति के लिए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय श्रम संस्थान को अनुदान" – ₹153.00 लाख की बचत (मार्च, 2018 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹985.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(झ) "आरिक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – बीड़ी कामगार कल्याण निधि को अंतरण" – ₹17851.54 लाख की बचत (₹19000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 01.07.2017 से बीड़ी उपकर संग्रहण को जीएसटी में जोड़े जाने के कारण हुई।

(g) "Improvement in Working Conditions of Child/Women Labour - National Child Labour Project including grants-in-aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - saving of ₹3119.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10496.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates, availability of unspent balances of previous years and less advertisement in print and electronic media.

(h) "Education" -

(i) "Grants to Central Board for Workers Education" - saving of ₹424.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5904.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates, availability of unspent balances of previous year, receipt of less proposals towards creation of capital assets, non-implementation of 7th Central Pay Commission recommendations and delay in finalization of tender for procurement.

(ii) "Grants to National Labour Institute" - saving of ₹153.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹985.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2018) was due to receipt of less proposals towards creation of capital assets.

(i) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts - Transfer to Beedi Workers Welfare Fund" - saving of ₹17851.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19000.00 lakhs) was due to subsuming of

Beedi Cess collection in GST with effect from 01.07.2017.

(ञ) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – भारत का आईएलओ को अंशदान" – ₹339.32 लाख की बचत (₹2184.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर परिवर्तन के कारण हुई।

(j) "International Cooperation - India's Contribution to the I.L.O." - saving of ₹339.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2184.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(ट) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "अन्य मदें" – ₹644.06 लाख की बचत (₹796.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम दावे प्राप्त होने, एजेंसियों को कम भाड़े पर लेने तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम विज्ञापन देने के कारण हुई।

(ii) "डीजीएफएएसएलआई स्कीमें" – ₹165.06 लाख (₹183.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राक्कलन प्राप्त न होने और स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) "डीजीएमएस स्कीमें" – ₹207.42 लाख (₹226.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम दावे प्राप्त होने तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के कारण हुई।

(iv) "चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण" – ₹151.56 लाख की बचत (₹191.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने, उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने तथा पिछले

(k) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Other Items" - saving of ₹644.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹796.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards professional services, hiring of less number of agencies and less advertisement in print and electronic media.

(ii) "DGFASLI Schemes" - saving of ₹165.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹183.00 lakhs) was due to non-receipt of estimates from Central Public Works Department and receipt of less establishment related claims.

(iii) "DGMS Schemes" - saving of ₹207.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹226.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards leave travel concession and other establishment related expenses.

(iv) "Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare" - saving of ₹151.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹191.00 lakhs)was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards leave travel

वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(v) "बीड़ी कामगारों का कल्याण" – ₹1936.67 लाख (₹2617.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने, पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता तथा कम संख्या में लाभार्थियों के कारण हुई।

(vi) "स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना और बंधुआ मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹455.20 लाख की बचत (₹1312.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(vii) "शिक्षा" – ₹226.97 लाख की बचत (₹861.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता तथा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन में देरी के कारण हुई।

(खा) "रोजगार सेवा" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – स्थापना" – ₹1790.68 लाख की बचत (₹5084.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत, ट्यूशन शुल्क के लिए कम दावे प्राप्त होने तथा अन्य स्थापना संबंधी दावों और मुद्रण के लिए कम दस्तावेज प्राप्त होने के कारण हुई।

concession, non-receipt of utilisation certificates and availability of unspent balances of previous years.

(v) "Beedi Workers Welfare" - saving of ₹1936.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2617.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates, availability of unspent balances of previous years and less numbers of beneficiaries.

(vi) "National Child Labour Project including grants-in-aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - saving of ₹455.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1312.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous years.

(vii) "Education" - saving of ₹226.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹861.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates, availability of unspent balances of previous years and delay in implementation of 7th Central Pay Commission recommendations.

(B) "Employment Service"-

(a) "Direction and Administration-Establishment" - saving of ₹1790.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5084.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims to wards leave travel concession, tuition fees and other establishment related expenses and printing of less documents.

(ख) "रोजगार सेवाएं – रोजगार संवर्द्धन स्कीम" – ₹30830.58 लाख की बचत (₹69356.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – रोजगार संवर्द्धन स्कीम" – ₹8015.17 लाख की बचत (₹17621.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – रोजगार संवर्द्धन स्कीम" – ₹4675.30 लाख की बचत (₹8948.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें पीएमआरपीवाई स्कीम की धीमी शुरुआत के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹988.57 लाख की बचत (₹3570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹366.35 लाख की बचत (₹447.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुईं।

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹262.52 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक थीं।

(b) "Employment Services - Employment Promotion Scheme" - saving of ₹30830.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹69356.00 lakhs);

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes- Employment Promotion Scheme" - saving of ₹8015.17lakhs (against the sanctioned provision of ₹17621.00 lakhs); and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Employment Promotion Scheme" - saving of ₹4675.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8948.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow take off of the PMRPY Scheme.

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share - Employment Generation Programmes" - saving of ₹988.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3570.00 lakhs); and

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Employment Generation Programmes" - saving of ₹366.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹447.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous years.

(VI) Under four heads savings of ₹262.52 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 19 percent to 92 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹91351.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2017 में मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा" –

(का) "कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1955" – ₹73742.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹73741.00 लाख था।

(खा) "असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन–एवं–जीवन बीमा स्कीम" – ₹6583.00 लाख।

(गा) "असम के चाय बागान कामगारों के लिए डिपोजिट लिंक्ड बीमा स्कीम" – ₹1253.00 लाख।

(II) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" –

(का) "कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1955" – ₹5523.00 लाख।

(खा) "असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन–एवं–जीवन बीमा स्कीम" – ₹794.00 लाख।

(गा) "असम के चाय बागान कामगारों के लिए डिपोजिट लिंक्ड बीमा स्कीम" – ₹178.00 लाख।

(III) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(का) "कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1955" – ₹2786.00 लाख।

(खा) "असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन–एवं–जीवन बीमा स्कीम" – ₹402.00 लाख।

2. The above savings were partly (₹91351.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2017 under Major Head "2230" - "Labour" - under the following heads:-

(I) "Social Security for Labour" -

(A) "Employees Pension Scheme, 1995" - ₹73742.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹73741.00 lakhs.

(B) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - ₹6583.00 lakhs.

(C) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam" - ₹1253.00 lakhs.

(II) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(A) "Employees Pension Scheme, 1995" - ₹5523.00 lakhs.

(B) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - ₹794.00 lakhs.

(C) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam" - ₹178.00 lakhs.

(III) "Tribal Area Sub-Plan" -

(A) "Employees Pension Scheme, 1995" - ₹2786.00 lakhs.

(B) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - ₹402.00 lakhs.

(गा) "असम के चाय बागान कामगारों के लिए डिपोजिट लिंक्ड बीमा स्कीम" – ₹90.00 लाख।

(C) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam" - ₹90.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹3827.01 लाख) जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹1901.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 91 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹3827.01 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1901.00 lakhs obtained in July, 2017 and December, 2017 and constituted 91 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	2270.00			
पू.	S.	1901.00	2509.00	352.93	-2156.07
पु.	R.	-1662.00			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) "श्रम – अन्य मदें" के अंतर्गत ₹58.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1900.00 का पूरक अनुदान प्राप्त करक बढ़ाकर ₹1958.00 लाख किया गया। तथापि, ₹1938.39 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) द्वारका में मुख्य श्रम आयुक्त भवन का निर्माण शुरू न होने के कारण हुई।

(II) Under "Labour - Other Items" - the original provision of ₹58.00 lakhs was augmented to ₹1958.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1900.00 lakhs. However, there was asaving of ₹1938.39 lakhs (including supplementary grant) - due to non-initialization of construction of Chief Labour Commissioner Building at Dwarka.

(III) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:–

(III) Savings also occurred under the following heads :-

(का) "श्रम" –

(A) "Labour"-

(क) "डीजीएफएएसएलआई स्कीमें" – ₹531.42 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹607.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "डीजीएमएस स्कीमें" – ₹332.81 लाख की बचत (₹515.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) "बीड़ी कामगारों का कल्याण" – ₹518.68 लाख की बचत (₹571.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "रोजगार – रोजगार संवर्द्धन स्कीम" – ₹484.96 लाख की बचत (₹490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें निर्माण कार्य के लिए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुई।

4. अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि :–

यह निधि अभ्रक खानों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण के संवर्धन के लिए वित्तपोषण के उपायों के लिए गठित की गई थी। अभ्रक के निर्यात पर लगाए गए सीमा शुल्क को संग्रहण प्रभार घटाने के बाद निधि में जमा कर दिया जाता है।

वर्ष 2017–2018 के लिए निधि का लेखा इस प्रकार था:–

(a) "DGFASLI Schemes" - saving of ₹531.42 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹607.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(b) "DGMS Schemes" - saving of ₹332.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹515.00 lakhs);

(c) "Bedi Workers Welfare" - saving of ₹518.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹571.00 lakhs); and

(B) "Employment - Employment Promotion Scheme" - saving of ₹484.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹490.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to delay in finalization of tender for constructions work.

4. Mica Mines Labour Welfare Fund: -

The Fund was constituted for financing measures for promotion of Welfare of Labour employed in Mica Mines. Custom duties levied on export of Mica are credited to the Fund after deducting collection charges.

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-1
प्राप्तियां	Receipts	1
अदायगियां	Payments	0
अंतशेष	Closing Balance	0

5. *लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधिः–*

यह निधि मूल रूप से लौह अयस्क खान श्रमिक और कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकारों और खान प्रबंधकों की सहायता करने के लिए लौह अयस्क खनिकों की जीवन–यापन की स्थितियों को सुधारने के लिए गठित की गई थी। इस अधिनियम को लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 जो 1 सितम्बर, 1978 से प्रवृत्त है, द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण संगठन इस निधि में से श्रमिकों और उनके आश्रितों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करता है। इस निधि का वित्तपोषण उपकर लगाकर किया जाता है।

वर्ष 2017–2018 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार थाः–

5. *Iron Ore Mines, Manganese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund:-*

The Fund was originally constituted under the Iron Ore Mines Labour and Welfare Cess Act, 1961 to help the State Governments and the Mines Management to improve the living conditions of the Iron Ore Miners. This Act has been replaced by Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 which came into force with effect from 1st September, 1978. The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Organization provide for welfare amenities out of this fund to the workers and their dependents. This Fund is financed by the levy of cess.

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-2
प्राप्तियां	Receipts	2
अदायगियां	Payments	0
अंतशेष	Closing Balance	0

6. *चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधिः–*

यह निधि चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें बेचे गए या किसी कारखाने के दखलकार को अन्य रूप से दिए गए किसी खान में उत्पादित चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था है जो कि खान मालिक द्वारा स्वयं अपनी फैक्टरी में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। संग्रहित उपकर को चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने संबंधी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

6. *Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund: -*

The Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 and rules framed there under, which provides for levy and collection of cess on Limestone and Dolomite produced in any mines, is sold or otherwise disposed off to the occupier of any factory or used by mine owner himself in his own factory for any purpose. The cess collected is utilized for financing of activities to promote the welfare of persons employed in Limestone and Dolomite Mines.

वर्ष 2017–2018 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-1
प्राप्तियां	Receipts	1
अदायगियां	Payments	0
अंतशेष	Closing Balance	0

7. बीड़ी कामगार कल्याण निधि:–

7. Beedi Workers Welfare Fund: -

यह निधि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के विनिर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से व्यक्तियों को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्तपोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया था।

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from 1st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

वर्ष 2017–2018 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-210,97,56
प्राप्तियां	Receipts	11,75,39
अदायगियां	Payments	11,48,46
अंतशेष	Closing Balance	-210,70,63

8. सिनेमा कामगार कल्याण निधिः–

यह निधि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। संग्रहित उपकर का उपयोग सिनेमा कामगारों के कल्याणकारी उपायों के लिए किया जाता है।

वर्ष 2017–2018 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार थाः–

8. Cine Workers Welfare Fund :-

The Fund was constituted under the Cine Workers Welfare Fund Act, 1981 and rules framed there under, which provides for levying and collection of Cess. Cess collected is utilized for the welfare measures of Cine Workers.

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-1
प्राप्तियां	Receipts	1
अदायगियां	Payments	0
अंतशेष	Closing Balance	0